(139)

प्र/निग०/रीवा/2018/0225

ग्वालियर
न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

301

1- कमलभान कोल तनय खिलाड़ी कोल, उम्र- लगभग 40 वर्ष पेशा मजदूरी व खेती, निवासी ग्राम नवागांव, तह. हुजूर, जिला रीवा म.प्र.

--- आवेदक

अधि० श्री देवदत्त द्विवेदी

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

शासन म.प्र. --- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म.प्र. बावत प्र.क्र. 289/अ 19/2016-17 आदेश दिनांक 22.9.17

====================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 ई.

====================================

महोदय,

निगरानी के आधार :-

01- यह कि आवेदक/निग. आदिवासी कोल व गरीब तथा मज्दूर पेशे का व्यक्ति है। आराजी खसरा नंबर 736, 737, 738 स्थित ग्राम नवागांव मे पुस्तैनी काबिज दखील है। प्रार्थी के पिता व बाबा पहले काबिज थे उनके मृत्यु उपरांत पिता काबिज दखील रहे उनके अस्वस्थ व वृद्ध हो जाने के कारण प्रार्थी मौके पर आबाद भी है और कास्त भी करता है।

02- यह कि उपरोक्त भूमियों के संबंध मे पहाड़ शब्द लिखा होने के कारण प्रार्थी की अपील खारिज की गई और यह लिखा गया कि न्यायालय के हस्ताक्षेप योग्य न होने से अपील निरस्त की जाती है। इस प्रकार से प्रार्थी को न्याय से वंचित किया गया है।

आवेदक कमलभान कोल

...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0 II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 0225 जिला–रीवा

कमलभान कोल / म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
15.03.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	